

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रतिष्ठित सं प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 303] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 17, 1978/आश्विन 25, 1900
No. 303] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 1978/ASVINA 25, 1900

इस भाग में भिन्न-वृष्ट संतक वी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

गृह मंत्रालय

(कार्यक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 1978

सा. का. नि. 501 (अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1934 के नियम 3 के उप-नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रकृत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (पवृन्ति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (पवृन्ति द्वारा नियुक्ति) छठा संशोधन विनियम, 1978 है।

(2) यह सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (पवर्न्नीति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 की अनुसूची में, हिमाचल प्रदेश राज्य से सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1) सरकार के मुख्य सचिव ।

(2) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत तीन व्यक्ति जिनका रैंक राजस्व बोर्ड के सचिव/आयुक्त/सरकार के सचिव से नीचे न हो ।

(3) भारत सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति, जिसका रैंक संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे न हो ।

[सं. 11039/5/78-अ.भा.मं.(1)]

टी. वी. रामानन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 1978

G.S.R. 501(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Himachal Pradesh and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Sixth Amendment Regulations, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, for the entries relating to the State of Himachal Pradesh, the following entries shall be substituted, namely :—

(1) Chief Secretary to the Government.

(2) Three nominees of the State Government not below the rank of Member, Board of Revenue/Commissioner/Secretary to the Government.

(3) A nominee of the Government of India not below the rank of Joint Secretary.

[No. 11039/5/78-AIS(I)]

T. V. RAMANAN, Jt. Secy.